

**\*शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 10 अभियुक्त गिरफ्तार\***

\*थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा\* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

\*थाना दुधारा पुलिस द्वारा\* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

\*थाना धनघटा पुलिस द्वारा\* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

**\*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 167 वाहनों से 2,26,100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया\***

आज दिनांक 29.04.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 167 वाहनों से 2,26,100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

**\*\*“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरी के मामलों में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\***

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 29.04.2025 को मा0 न्यायालय \*जे0एम0 संतकबीरनगर\* के द्वारा 01 अभियुक्त को \*जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रुपये\* के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

**विवरण:-**

मु0अ0सं0 08/2007 धारा 379, 411 भादवि व 4/10 UPPT एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त अभियुक्त रमाकान्त पुत्र राजाराम को मु0अ0सं0 08/2007 अन्तर्गत धारा-379 भादवि में जेल में बितायी गई अवधि एवं 250 रुपये का अर्थदण्ड व धारा-411 भादवि में जेल बितायी गई अवधि व 250 रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा- 4/10 UPPT एक्ट में जेल में बितायी गई अवधि से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस का साधारण कारावास से भुगतना होगा ।